फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी
1. बाबूलाल पुत्र श्री मूपाराम
जाति मेघवाल नि. नवारा
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,
राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 41/2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
20–12–24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री रमेश कुमार माली व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/1228 दिनांक 29–11–2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत नाम उताराधिकारी नामा0 से इन्द्राज हुआ है । सही नाम बाबूलाल पुत्र श्री मुपाराम जाति मेघवाल है । इस संबंध में आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन–आधार पर नरेगाा जॉब कार्ड की प्रतियां पेश की है । प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा नवारा पटवार हल्का नवारा के वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 11 व 308 में गलत नाम पीरिया पुत्र मुपा भांबी के के स्थान पर सही नाम बाबुलाल पुत्र मूपाराम जाति मेघवाल संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज.)	